प्रकरण संख्या :-151 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक:- 07.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:- 08.04.2025

उनवान

1. ग्यारसीलाल पुत्र रघुनाथ
2. गुलाबचंद पुत्र छीतरमल
3. बाबूलाल पुत्र छीतरमल

जाति ब्राहमण निवासी भोजवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र केदार प्रसाद
2. ओमप्रकाश पुत्र घासीलाल
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र घासीलाल
4. मक्खनलाल पुत्र घासीलाल
5. योगेश कुमार पुत्र घासीलाल
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र घासीलाल
7. शिम्भूदयाल पुत्र घासीलाल
8. कालूराम पुत्र हीरालाल
9. रामेश्वर पुत्र हीरालाल
10. दिनेश चंद पुत्र चिरंजीलाल
11. सुरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल
    जाति समस्त ब्राहमण निवासी भोजवाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई
13. प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीचूपाडा खुर्द
14. प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुढलिया

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–151 / 2024 सन्–2024

निर्णय दिनांक 08.04.2025

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री गोपाल बंधु इस आशय से पेश किया है कि खतौनी संख्या पुराना 57 नया 168 के आराजी खसरा नंबर 217 लगायत 227 कुल किता 11 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर वाके रामा भोजवाडा में स्थित है खतौनी संख्या पुराना 46 नया 45 के आराजी खसरा नंबर 590, 678, 683, 694, 803, 804, 812, 813 कुल किता 8 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर वाके रामा भोजवाडा में स्थित है जिसमे

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

वादी का कब्जा चला आ रहा है। खतौनी संख्या पुराना 45 नया 44 के आराजी खसरा नंबर 578, 579, 589, 659, 660, 680, 681, 682, 684, 695 कुल किता 10 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर वाके रामा भोजवाडा में स्थित है जिसमे वादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। खाता संख्या पुराना 56 नया 57 के आराजी खसरा नंबर 884 लगायत 890, 907, 909 कुल किता 9 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर वाके रामा भोजवाडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसका आज दिन तक पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से सरस नरस तकास्मा नहीं हुआ है और पक्षकारान अपनी अपनी मन समाई से भूमि मुतदाविया पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के मन में बददेहान्ती आ गयी है और वे भूमि मुतदाविया का बिना विधिवत सरस नरस तकास्मा हुये भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित करने पर आमादा हो रहे है व खाम व पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है जबकि भूमि मुतदाविया का जब तक विधिवत रूप से सरस नरस तकास्मा नहीं हो जाता है कानूनन उस पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर हक अधिकार होता है। वादीगण ने दिनांक 30.09.2024 को प्रतिवादीगण से भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस नरस तकास्मा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 कतई इंकार हो गये और एलानिया कहा कि हम तो बिना विधिवत तकास्मा कराये ही भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित करके रहेगे व उस पर खाम व पुख्ता निर्माण करके रहेगें ऐसी सूरत में वादीगण को तुरंत ही दावा तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के मन में अब बदयान्ति आ जाने से वे भूमि मुतदाविया का बिना विधिवत सरस नरस तकास्मा हुये भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय करने हेतु भूमि पर 2–4 व्यक्तियों को ले आये और भाव तौल करने लग गये तो वादीगण ने कहा कि भूमि मुतदाविया का बिना विधिवत तकास्मा करवाये कैसे विक्रय कर सकते हो तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने एलानिया कहा कि हम तो भूमि मुतदाविया का ना तो सरस नरस तकास्मा करवायेंगे और बिना तकास्मा करवाये ही भूमि को किसी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित करके रहेंगे और खाम व पुख्ता निर्माण करके रहेंगे व मौका व रिकॉर्ड की स्थिति को बदल कर रहेंगे ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे भूमि मुतदाविया का बिना विधिवत सरस नरस तकास्मा हुये किसी भी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित नहीं करे व ना ही खाम व पुख्ता निर्माण करावे व मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें यदि प्रतिवादीगण को शीघ्र ही पाबंद नहीं किया तो वादीगण अपने जायज हक अधिकारों की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेंगे व वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो जावेगी व वादीगण बर्बाद हो जावेंगे ऐसी सूरत में दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय यौम दावा व बिनाय मुखास्मत वादीगण को दिनांक 30.09.2024 को बिनाय भूमि मुतदाविया का विधिवत रूप से सरस नरस तकास्मा किये उसे किसी

8/4/25
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तकास्मा पूर्व से ही हो रहा है तो पुनः तकास्मे की कोई आवश्यकता नहीं है तथा कानूनन एक खातेदार सहखातेदार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा कथित दिनांक को मिन प्रतिवादीगण ने तकास्मा करने से ना ही इंकार किया और ना ही विक्रय करने की कोई बात की इसलिये वादीगण को कोई बिनाय दावा पैदा हुई। वाद पत्र का चरण संख्या 7 गलत है स्वीकार नहीं है तथा भूमि के खातेदारान ने भूमि का मन बंट से मौके पर तकास्मा कर रखा है। जिसको वादीगण ने स्वयं अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है ना तो प्रतिवादीगण विवादित भूमि में कोई निर्माण ही कर रहे है और ना ही रहन व विक्रय कर रहे है। सारे तथ्य गलत अंकित किये है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिये वादीगण ने कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वाद पत्र का चरण संख्या 8 गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण कोई वादकारण उत्पन्न ही नहीं हुआ। वाद पत्र का चरण संख्या 9, 10 कानूनी है। वंचित अनुतोष स्वीकार नहीं है।

वाद पत्र के चरण संख्या 2 व 4 में वर्णित कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई तालूक व वास्ता नहीं है। इसलिये वादीगण उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये वादीगण का वाद आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दिवानी के प्रावधानो के तहत प्रथम स्तर पर ही चलने योग्य नहीं है तथा खारिज योग्य है। वाद पत्र के चरण नं. 1 व 3 में वर्णित आराजीयात का तकास्मा मौके के कब्जे अनुसार किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उक्त भूमि के खातेदारान ने मौके पर मन बंट से बाहमी तकास्मा कर रखा है व काबिज है जिसको वादीगण ने अपने वाद में स्वीकार किया है। वादीगण कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज व्यक्ति के विरूद्ध कोई स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण ने बहक प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से वाद पेश किया है जिसमे हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है अतः जबाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील उभयपक्ष द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया एव सहमति प्रकट की। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद आंशिक रूप से प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 1052 दिनांकः 25.03.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्यारसीलाल, गुलाबचंद द्वारा जर्ये वकील श्री गोपाल बंधु के प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पेश किया है कि पटवारी हल्का ने मौके के विपरीत कुरैजात तैयार किये है मौके पर वादीगण के कब्जेशुदा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से कर दिया है अतः तहसीलदार बांदीकुई को पुनः कुरैजात तैयार करने के आदेश जारी किये जावे। प्रार्थी योगेश कुमार शर्मा पुत्र घासीलाल शर्मा द्वारा जर्ये वकील

8/4/25
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

श्री सम्पतराम जांगिड के जबाब आपत्ति बाबत कुरैजात पेश कर अवगत करवाया कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 गलत है स्वीकार नहीं है सही तथ्य यह है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार बांदीकुई एवं भू अभिलेख निरीक्षक गुढलिया की मौजूदगी में तैयार की है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 जिस प्रकार लिखा है बिल्कुल गलत है पटवारी हल्का ने तहसीलदार की मौजूदगी में मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति के अनुसार ही कुरैजात मौके पर तैयार की है वादीगण मौके पर मौजूद थे। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 गलत है स्वीकार नहीं है पुनः कुरैजात की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि तहसीलदार महोदय बांदीकुई की मौजूदगी में ही मौके पर ही कुरैजात तैयार की है व मौके के अनुसार ही तैयार किये है। वादीगण ने महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह आपत्ति पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आपत्ति बाबत कुरैजात प्रार्थना पत्र ग्यारसीलाल वगै. मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा जबाब वाद में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को आंशिक रूप से अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार आंशिक रूप से निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

8/4/25
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)